

V

Part-A

S. No. (1)	Name of State Highway (2)	Total Length (in Km.) (3)	Name of Districts on the way (4)
1	Mhow-Ghatabilloid (SH-1A)	27.00	Dhar-Indore

Part-B

Details of land in between Building Lines and Control Lines

District Tehsil (1)	Village (2)	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) (4)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) (5)
Dhar Dhar	Pithampur	-----	520, 508, 321, 300, 309, 507, 141, 146.
Dhar Dhar	Kheda	-----	270.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र.-डी-8-2-2012-14-3.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1958 (क्रमांक एक, सन् 1959) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री मोहनलाल मीना (आई.ए.एस.) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को आगामी आदेश तक "गन्ना आयुक्त" घोषित किया जाता है. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गणेश, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र.-एफ-3-11-2014-32.—मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2479-1-66-33, दिनांक 10 अक्टूबर 1973 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत खरगोन निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था. उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को निम्नानुसार पुनरक्षित किया जाता है. वर्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाई गई हैं.

अनुसूची

खरगोन निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—रणगांव, बिरोठी, सिरपुर, बेडियाव, मेनगांव, पिपरटा, भाडली, मांगरूल खुर्द, बीड बुजुर्ग, बिजलगांव खुर्द ग्राम की उत्तरी सीमा.

दक्षिण में—सिनखेडा, आदमपुरा, चौडी, भसनेर, हीरापुर, जामला, डाबरिया, राजपुरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—राजपुरा, मेहरजा, बडगांव, मागरिया, खेडी खानपुरा, सोनीपुरा, बिजलगांव खुर्द, बीडबुजुर्ग, नवाबपुरा, बिजलगांव बुजुर्ग ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

पश्चिम में—भसनेर, चौडी, सिनखेडा, मनावर, रणगांव, बिरोठी, सिरपुर, मेनगांव ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.